

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 190 / XXV-12 (1-5) / 2008

देहरादून : दिनांक 20 फरवरी, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर,
मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री यशवन्त सिंह, चौन०- 8ए व 9ए, प्रथमतल सिविल कोर्ट, रामनगर, रूड़की, जनपद हरिद्वार के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ०संख्या 190 / XXV-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री यशवन्त सिंह, चौन०- 8ए व 9ए, प्रथमतल सिविल कोर्ट, रामनगर, रूड़की, जनपद हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सुप्रीम

लोकसूचना अधिकारी/मुख्य चुनाव अधिकारी

उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र

मेरा दाय

निवेदन है कि प्रार्थी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न वि-दुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है।

(1) दिसम्बर वर्ष 2015 में जनपद हरिद्वार में पंचायत-चुनाव के अन्तर्गत बृथ ड्यूटी के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारियों को अलग से क्या कोई धन-राशि का भुगतान किया गया था। कृपया जानकारी प्रदान करें।

(2) यदि कोई भुगतान/चुनाव ड्यूटी के लिए किया गया तो प्रतीन का कपट कर की किल जेड पे काले कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी के लिए कितना भुगतान किया गया। कृपया पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।

(3) क्या चुनाव विभाग द्वारा जारी की जाने वाली प्रति व्यक्ति धन राशि में कोई अन्य विभाग कटौती कर सकता है इधका नहीं कृपया पूर्ण जानकारी प्रदान करें।

(4) यदि किसी कर्मचारी का विभाग, चुनाव विभाग द्वारा बृथ ड्यूटी करने वाले कर्मचारी के लिए जारी की गयी धन राशि में कटौती करता है तो क्या चुनाव विभाग कर्मचारी के विभाग अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकता है यदि हाँ तो कृपया प्रयोग में लाये जाने वाले नियम की दृष्टि से साथ पूर्ण विवरण प्रदान करें।

प्रार्थी सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 में निर्धारित धन राशि

10/- पोस्टल आर्डर क्र. 33F-766455 के माध्यम से अंतर करे।

दि - 10/02/16

प्रार्थी
यशवन्त सिंह

कै. नं. - 8A व 9A, प्रथम तल
सिविल कोर्ट, रामनगर, रुड़की
जनपद - हरिद्वार
फोन - 9759523747

भारतीय अन्त्योदय पार्टी

रामचन्द्र उपाध्याय

प्रदेश अध्यक्ष (उत्तराखण्ड)

B.Tech. Pant Nagar

पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, उत्तरकाशी

Ph. 9410176279, 09542238999

(BAP)



प्रदेश कार्यालय-

पित्तूवाला कला, शिमला बाईपास रोड

देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248171

कैम्प कार्यालय -

कनक भवन, मालडन कॉटेज, नैनीताल - 263001

पत्रांक ...

दिनांक 12/11/2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग - उत्तराखण्ड

देहरादून

विषय- 2012 में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची प्राप्त करने हेतु निवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि भारतीय अन्त्योदय पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पंजीकृत है तथा हमें आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराना है।

आप से हमारा आग्रह है कि विगत विधानसभा चुनाव 2012 में जो भी प्रत्याशी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे उनकी सूची उपलब्ध करने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद -

सादर - भवदीप

Ramchandra Upadhyay

रामचन्द्र उपाध्याय

प्रदेश अध्यक्ष
भारत अन्त्योदय (B.A.P.)

Received the
Gazet Notification
for Election 2012
Vidhan Sabha, Uttarakhand
12/11/16

श्री रैमवाल

12/11/2016
S.O